

कार्यालय मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता
(शासकीय स्वशासी संस्था) महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर

कार्यालय दूरभाष नंबर :- 0731-2527383, 2527679
फैक्स नंबर :- 0731-2514628

ईमेल :- deanliabrary@gmail.com
वेबसाईट :- www.mgmmcindore.in

क्रमांक : 1274/स्था./अवि./2021

इन्दौर, दिनांक :- 26/08/2021

//स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई के सह-चिकित्सकीय संवर्ग के
रिक्त पदों की भर्ती सूचना//

(म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु)

मध्यप्रदेश शासन चिकित्सा शिक्षा विभाग मंत्रालय भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 2-06/2018/1-55 भोपाल दिनांक 07.04.2018 द्वारा म.गॉ.स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर में स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय चिकित्सकीय सेवा आदर्श नियम 2018 एवं संचालनालय चिकित्सा शिक्षा म.प्र. भोपाल द्वारा प्राप्त अनुसूचियों के आधार पर स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्दौर के सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की पदपूर्ति की जाना है

म.प्र. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल के पत्र क्रमांक एफ 2-20/2020/1/55 भोपाल दिनांक 17.11.2020 द्वारा प्रथमतः म.प्र. के शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण उम्मीदवारों से पद पूर्ति किये जाने के निर्देश प्राप्त होने के फलस्वरूप म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों से स्कूल ऑफ एक्सीलेन्स फॉर आई इन्दौर के सह-चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाना है ।

आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की वेबसाईट www.mgmmcindore.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी.रोड) के कार्यालय में दिनांक 26.08.2021 से दिनांक 13.09.2021 तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें।

1. पदों का विवरण :-

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय संवर्ग के रिक्त पदों की जानकारी

क	पदनाम	कुल स्वीकृत पद	बिना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			U R	SC	ST	OB C	EW S	UR	SC	ST	OB C	EW S	UR	SC	ST	OB C	EW S
1	आप्टोमेट्रिस्ट	08	02	01	02	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	लैब टेक्नीशियन	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	ओ.टी. टेक्नीशियन	08	02	01	02	02	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	ऐनेस्थेसिया टेक्नीशियन	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	सीएसएसडी टेक्नीशियन	06	03	01	01	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

सीधी भर्ती :- सह चिकित्सकीय के संवर्ग के संविदा कर्मचारियों हेतु आरक्षित रिक्त पदों की जानकारी (आवेदक शासकीय संस्था में न्युनतम 05 वर्ष तक संविदा पर नियुक्त रहा हो)

क	पदनाम	कुल पद	बिना वर्ग					भूतपूर्व सैनिक					दिव्यांग				
			UR	SC	ST	OBC	EW S	UR	SC	ST	OBC	EW S	UR	SC	ST	OBC	EW S
1	आप्टोमेट्रिस्ट	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	ओ.टी. टेक्नीशियन	02	01	-	-	01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-

सं. क्र.	पद का नाम	वेतनमान	न्यूनतम आयु सीमा	न्यूनतम अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	आप्टोमेट्रिस्ट	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. जीव विज्ञान, रसायन तथा भौतिकी में बी.एस.सी. उत्तीर्ण होना चाहिए। 2. नेत्र सहायक का 2 वर्षीय प्रशिक्षण पाठ्यक्रम राज्य की चिकित्सा संस्था से उत्तीर्ण होना चाहिए अथवा आप्टोमेट्री एण्ड रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा तथा नेत्रशिविर तथा अन्य में 3 माह का प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। 3. म.प्र. सह चिकित्सीय परिषद का जीवित पंजीयन।
2	लैब टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से पैथालॉजी टेक्नीशियन का डिप्लोमा (डी.एम.एल.टी.) / क्लीनिकल बायोकेमेस्ट्री का डिप्लोमा / माईक्रोबायोलॉजी का डिप्लोमा 3. म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का पंजीयन आवश्यक
3	ओ.टी. टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से ऑपरेशन थियेटर टेक्नीशियन का प्रमाण पत्र 3. म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का पंजीयन आवश्यक
4	एनेस्थिसिया टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से एनेस्थिसिया टेक्नीशियन का डिप्लोमा / 3. म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का पंजीयन आवश्यक
5	सीएसएसडी टेक्नीशियन	5200-20200+2800	18 वर्ष	1. बायोलॉजी, केमेस्ट्री तथा फिजिक्स में 10+2 प्रणाली में उपरोक्त विषयों सहित 12 वी परीक्षा उत्तीर्ण 2. मान्यताप्राप्त संस्थान से सीएसएसडी टेक्नीशियन का डिप्लोमा / 3. म.प्र. पैरामेडिकल कौंसिल का पंजीयन आवश्यक

महगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते और अन्य लाभ मध्यप्रदेश शासन नियमानुसार लागू होंगे।

नोट:-

- पदों की संख्या अधिक/कम की जा सकती है।
- भर्ती की प्रक्रिया एवं सेवा शर्तों की विस्तृत जानकारी एवं आवेदन का प्रारूप चिकित्सा महाविद्यालय की वेबसाइट पर (www.mgmmcindore.in) पर उपलब्ध है।
- विज्ञापित पदों के आरक्षण एवं नियुक्ति संबंधी समीचिन नियमों एवं भविष्य में नियुक्तियों के संबंध में अन्यथा लिये गए शासकीय निर्णय के अधीन नियुक्ति/पदोन्नतिया रहेगी, एवं अभ्यर्थी नियुक्ति निरस्त होने की दशा में नियुक्ति के संबंध में अधिकार के रूप में मांग नहीं कर सकेंगे।
- आयु की गणना विज्ञापन जारी होने वाली तिथि के पश्चात आने वाली 01 जनवरी के दिनांक को आधार मानकर गणना में ली जावेगी।
- पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
- आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जावेगा।
- चयन प्रक्रिया हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
- आवेदन शुल्क आवेदन के प्रारूप पर उल्लेख अनुसार अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा अन्यथा आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।

आवेदन पत्र 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी. रोड) के कार्यालय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करे। देरी से प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जावेगा। साथ ही जमा किया गया शुल्क लौटाया नहीं जावेगा।

1. आवेदन शुल्क:-

अनारक्षित वर्ग हेतु 1000/- (एक हजार रुपये)

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हेतु 800/- (आठ सौ रुपये) एवं

अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर कीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये 900/- (नौ सौ रुपये) राशि का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया एम.वाय.एच. केम्पस, इन्दौर में आनलाईन जमा करनी होगी।
(IFSC :- SBIN0030359) (Account No. 53003590071)

(M.G.M. Medical College, (Autonomous Society) Indore के नाम से जमा कर रसीद आवेदन के साथ सलग्न करें।

2. आयुसीमा :-

1. अनारक्षित वर्ग हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष
2. अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/शासकीय/निगम/मण्डल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों/नगर सैनिक/निःशक्तजन/महिलाओं (अनारक्षित/आरक्षित) आदि हेतु - न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (अधिकतम आयु सीमा में 05 वर्ष की छूट)

नोट:- आयु की गणना 01 जनवरी 2021 के आधार पर की जावेगी।

3. आवेदन कैसे करें:-

1. आवेदन पत्र चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर की वेबसाईट www.mgmmcindore.in पर उपलब्ध है। आवेदन पत्र का प्रारूप उक्त वेबसाईट से डाउनलोड कर 'मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता म.गा. स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर (ए.बी.रोड) के कार्यालय में दिनांक **26.09.2021** से दिनांक **13.09.2021** तक शाम 5 बजे तक जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र के लिफाफे पर पद का नाम आवश्यक रूप से अंकित करें।
2. कृपया आवेदन पत्र भरने से पहले सावधानीपूर्वक निर्देशों को पढ़ लें।
3. उम्मीदवार को आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न किया जाना अनिवार्य है :-
 1. जन्मतिथि के समर्थन में हाई स्कूल परीक्षा मार्कशीट/सर्टिफिकेट/जन्मप्रमाण पत्र
 2. आवेदित पद हेतु निर्धारित अर्हता के समर्थन में संबंधित डिग्री/डिप्लोमा/फाईनल ईयर की मार्कशीट।
 3. मध्यप्रदेश में संबंधित कांउंसिल से जीवित रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट।
 4. फोटो पहचान प्रमाण पत्र।
 5. उम्मीदवार का नवीन फोटो एवं हस्ताक्षर।
 6. 12 वी कक्षा की अंकसूची
 7. जाति प्रमाण पत्र

4. आरक्षण :-

1. पदों पर आरक्षण राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार होगा।
2. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) के लिये आरक्षण प्रावधान नियमानुसार लागू होंगे।
3. उक्त पदों हेतु जातिगत आरक्षण केवल ऐसे अभ्यर्थियों पर लागू होगा, जिनका जाति प्रमाण पत्र मध्यप्रदेश राज्य के अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा जारी किया गया हों।
4. सामाजिक न्याय एवं निशक्तजन कल्याण विभाग भोपाल द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 19.01.2015 के अनुसार दिव्यांग उम्मीदवारों हेतु क्षेतिज आरक्षण लागू होगा।
5. विकलांग श्रेणी के उम्मीदवारों को मेडिकल बोर्ड निर्धारित प्रपत्र में जारी विकलांगता प्रमाण पत्र जिसमें विकलांग प्रतिशत स्पष्ट दर्शाया गया हो प्रस्तुत करना होगा।

अस्थि बाधित | अस्थि बाधित (45%-50%) शरीर के निचले हिस्से की विकलांगता मान्य है ।

6. मध्यप्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्रमांक एफ-6-1/2002/अ.प्र./एक भोपाल दिनांक 18 जनवरी 2018 द्वारा मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछडा वर्गों के लिये आरक्षण) नियम 1988 के नियम- 4(ख) में संशोधन की अधिसूचना म.प्र. राजपत्र (असाधारण) में 16 जनवरी 2018 के अंतर्गत "4-ख आदिम जनजातियों के लिये विशेष उपबंध" में यदि आवेदक जिला श्योपुर, मुरैना, दतिया, ग्वालियर, भिंड, शिवपुरी, गुना तथा अशोकनगर की सहारिया/सहरिया आदिम जनजाति जिला मण्डला, डिण्डौरी, शहडोल, उमरिया, बालाघाट तथा अनूपपुर की बैगा आदिम जनजाति तथा जिला छिंदवाड़ा के तामिया विकासखण्ड की भारिया जनजाति का है, संविदा शाला शिक्षक या तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के किसी भी पद के लिये या वनरक्षक (कार्यपालिक) के लिये आवेदन करता है और उस पद के लिये विहित की गई न्यूनतम अर्हता रखता है, तो उसे भर्ती प्रक्रिया को अपनाये बिना उक्त पद पर नियुक्त किया जाएगा"
7. दिव्यांगजन के आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग क्रमांक एफ 8-4/2001/आ.प्र./एक (पार्ट) भोपाल दिनांक 17 सितम्बर 2018 अनुसार रहेगा।
8. उक्त पदों में भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ-9-3/2012/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 22 सितंबर 2012 के अनुसार रहेगा।
9. संविदा पर नियुक्त कर्मचारियों को 20 प्रतिशत आरक्षण का लाभ सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. सी 5-2/2018/1/3 भोपाल दिनांक 05 जून 2018 के अनुसार रहेगा।
10. उक्त पदों पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिए आरक्षण सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय भोपाल द्वारा जारी निर्देश क्र. एफ 07-11/2019/आ.प्र./एक भोपाल दिनांक 02 जुलाई 2019 के अनुसार रहेगा। आरक्षण का लाभ सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही दिया जायेगा।

8. सामान्य शर्त:-

1. उम्मीदवार को मध्यप्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
2. शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा आवश्यकता अनुसार उक्त पदों की संख्या में परिवर्तन किया जा सकता है।
3. ऐसे अभ्यर्थी जो शासकीय/अर्धशासकीय/सार्वजनिक उपक्रम में कार्यरत हैं एवं विज्ञापित पदों हेतु न्यूनतम अर्हता एवं आयु सीमा संबंधी सभी मापदंडों को पूर्ण करते हों उन्हें दस्तावेज सत्यापन के दौरान वर्तमान नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।
4. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछडा वर्ग (केवल गैर क्रीमीलेयर) तथा अनारक्षित (आर्थिक रूप से कमजोर संवर्ग) जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं, उन्हें म.प्र. शासन के वर्तमान प्रचलित नियमों के अनुसार निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र की एक प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान जमा करनी होगी।
5. उम्मीदवारों को पूर्ण रूप से स्वस्थ होना अनिवार्य है एवं नियुक्ति के समय मेडीकल बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा स्वस्थता प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
6. अधिष्ठाता, चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर किसी भी समय किसी भी स्तर पर आंशिक या पूर्ण विज्ञप्ति या भर्ती प्रक्रिया को बिना किसी कारण रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। इस संबंध में महाविद्यालय की कोई जवाबदारी नहीं होगी।
7. चयन प्रक्रिया संबंधी किसी भी विवाद में अधिष्ठाता, शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।
8. नियुक्ति संबंधी कोई भी विवाद माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में मान्य होगा।

9. ऐसे आवेदक जिनको दिनांक 26.01.2001 तथा उसके बाद तृतीय बच्चे का जन्म हुआ है, चयन प्रक्रिया में भाग लेने के पात्र नहीं होंगे।
10. वैवाहिक स्थिति – एक से अधिक विवाह किये गये उम्मीदवार पात्र नहीं होंगे अगर प्रथम विवाह से विच्छेद न हुआ हो अथवा मृत्यु न हुई हो।
11. सेवा की अन्य शर्तें नियुक्ति पत्र में दर्शाई अनुसार बंधनकारी होगी।
12. संविदा अवधि अनुभव की गणना आवेदन की अंतिम तिथि तक मान्य की जावेगी।
13. चयन सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जायेगा अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी जिन्होंने आवेदन किए पद हेतु निर्धारित आवश्यक न्यूनतम अर्हता में अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियाँ एक से अधिक आवेदक के लिये समान हो तो कक्षा 12वीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
14. सह चिकित्सकीय संवर्ग के पद हेतु आवेदन करने के पूर्व आवेदक विज्ञापन का गहन अध्ययन कर लें।

9. सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र :-

सह चिकित्सकीय संवर्ग को न्यूनतम 03 वर्ष की सेवाएं देने हेतु सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र निष्पादित करना होगा। सेवा अनुबंध सह प्रतिभूति पत्र में निहित शर्तों का पालन न करने पर उसे 01 वर्ष के वेतन/मानदेय के बराबर की राशि इस शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर को चुकानी होगी। यह देय राशि संबंधित से भू-राजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।

10. अनहतायें :-

निम्नलिखित मामलों में उल्लंघन करने वाले आवेदकों का अभियोजन किया जा सकेगा और/या चयन के लिये उसकी उम्मीदवारी निरस्त की जा सकेगी और/या उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिये विवर्जित कर दिया जाएगा :-

1. जिसने अपनी उम्मीदवारी के लिये भर्ती में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसके लिये प्रयास किया हो या प्रतिरूपण (इम्प्रसोनेशन) किया हो या कराया हो या
2. कूटरचित दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया गया हो या
3. चयन के किसी भी स्तर पर भर्ती हेतु दिये गये किसी भी आवेदन/प्रपत्र/अनुप्रमाणन/दस्तावेज में असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपाई हो या
4. भर्ती के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो या
5. साक्षात्कार में लगे कर्मचारियों/अधिकारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो या किसी तरीके से दुर्व्यवहार किया हो या
6. आवेदकों को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 के नियम के अनुसार नियुक्ति के लिये वह उम्मीदवार अपात्र होगा जो निम्न में से कोई हो :-
- अ. पुरुष उम्मीदवार जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों। इसी प्रकार महिला उम्मीदवार जिसने किसी ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसके पहले से ही एक पत्नी जीवित हो। ऐसे मामले में शासन ही अन्यथा निर्णय ले सकता है अर्थात् यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाये कि ऐसा करने का पर्याप्त कारण है तो वह इस प्रतिबंध से छूट दे सकता है।
- ब. जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं पाए गए।
- स. किसी अपराध का दोष सिद्ध ठहराया गया हो।
- द. जिसकी दो से अधिक संतान हैं जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी 2001 को या उसके पश्चात हुआ है परन्तु निरर्हित नहीं होगा यदि एक संतान से जीवित रहते आगामी प्रसव में दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है।
7. ऐसा उम्मीदवार जिसके विरुद्ध नैतिक पतन का आपराधिक प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है अथवा वह नैतिक पतन के आपराधिक मामले में दोष सिद्ध हुआ हो।

11. चयन प्रक्रिया:—

1. प्रावीण्य सूची तैयार करते समय यदि दो या दो से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं तो उम्मीदवारों की जन्मतिथि पर विचार किया जावेगा। अर्थात् अधिक आयु के आवेदक को कम आयु के आवेदक के ऊपर रखा जावेगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में ऐसे उम्मीदवार को वरीयता दी जावेगी, जिन्होंने आवेदन किये हुये पद हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता से अधिक अंक प्राप्त किये हैं। ऐसी स्थिति में जब उपरोक्त दोनों स्थितियां एक से अधिक आवेदक के लिये समान हों तो कक्षा बारहवीं में अधिक अंक प्राप्त अभ्यर्थी को वरीयता दी जावेगी।
2. दस्तावेज सत्यापन में त्रुटि पाए जाने पर उम्मीदवार को अयोग्य घोषित किया जा सकता है।
3. दस्तावेज सत्यापन के समय शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यता संबंधित समस्त प्रमाण-पत्रों की मूल प्रतियां प्रस्तुत करनी होंगी।
4. भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने के उपरांत किसी भी उम्मीदवार की दावेदारी पर विचार नहीं किया जावेगा।
5. आरक्षण का लाभ लेने वाले उम्मीदवारों के लिये निम्न लिखित प्रमाण पत्र आवश्यक है:—
 1. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
 2. निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी म.प्र. शासन द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र तथा अतिरिक्त पिछड़ा वर्ग में गैर कीमी लेयर प्रमाण पत्र।

12. महत्वपूर्ण टीप :-

यह उम्मीदवारों के हित में है कि वे शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की वेबसाईट www.mgmmcindore.in का नियमित रूप से अवलोकन करते रहे एवं महत्वपूर्ण सूचनाओं व निर्देशों पर ध्यान देवे। इस संबंध में शासकीय स्वशासी चिकित्सा महाविद्यालय, इन्दौर की कोई जवाबदारी नहीं होगी। यदि आवेदक समय-समय पर महाविद्यालय द्वारा जारी महत्वपूर्ण सूचनाओं एवं निर्देशों का अवलोकन करने में असफल होता है तो उसकी दावेदारी मान्य नहीं की जावेगी। साथ ही आवेदक द्वारा आवेदन पत्र सही भरा जाना चाहिए एवं किसी भी जानकारी को छिपाया नहीं जाना चाहिए। यदि भविष्य में पाया जाता है कि किसी उम्मीदवार का चयन उसके द्वारा प्रस्तुत गलत जानकारी के आधार पर हुआ है तो ऐसे उम्मीदवार की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी एवं तदनुसार उसके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी।

(डॉ. संजय दीक्षित)

अधिष्ठाता

म.गा.स्मृति शासकीय स्वशासी चिकित्सा
महाविद्यालय इन्दौर(म.प्र.)

आवेदन का प्रारूप

आप्टोमेट्रिस्ट , लैब टेक्नीशियन, ओ.टी. टेक्नीशियन, ऐनेस्थेसिया टेक्नीशियन सी.एस.डी. टेक्नीशियन के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन-पत्र

(म.प्र. के समस्त शासकीय चिकित्सा महाविद्यालयों में संचालित पैरा मेडिकल कोर्सेस से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु)

(अंतिम तिथि 13.09.2021)

नोट: सभी जानकारी आवेदक द्वारा पूर्ण की जावे।

आवेदन शुल्क अनारक्षित श्रेणी के लिये रुपये 1000/- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के लिये रुपये 900/- एवं आरक्षित श्रेणी के लिये रुपये 800/- का आर.टी.जी.एस. स्टेट बैंक आफ इण्डिया एम.वाय.एच. केम्पस, इन्दौर

(IFSC :- SBIN0030359) (Account No. 53003590071) (M.G.M.Medical

College, (Autonomous Society) Indore के नाम से कर रसीद संलग्न करें

**स्वप्रमाणित
फोटो**

1. आवेदक का नाम
2. पुरुष / महिला
3. पिता / पति का नाम (उपनाम सहित).....
4. वर्तमान निवास स्थान का पता (पिनकोड सहित).....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं..... ईमेलआईडी.....
5. स्थाई पता.....
.....
शहर का नाम..... फोन नं.....
मोबाइल नं.....
6. आधार कार्ड नम्बर
7. जन्मतिथि (हाईस्कूल परीक्षा की अंकसूची संलग्न करें)01.01.2021 को आयु.....वर्ष
.....माह.....दिवस
8. वर्ग : अनारक्षित / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्ल्यू. एस.
/ विकलांग / (आरक्षित श्रेणी हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र की
छायाप्रति संलग्न करें)
9. मेडिकल काउन्सिल का पंजीयन क्रमांक एवं नाम तथा दिनांक
10. शैक्षणिक योग्यताएं:- (प्रमाण-पत्र एवं अंकसूची की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करें) पद के
अनुसार योग्यता अंकित करें

क्र.	परीक्षा का नाम	संस्था / बोर्ड / वि.वि.	वर्ष	विषय	प्राप्तांक / पूर्णांक
1					
2					
3					
4					
5					

11. कार्य अनुभव :-

क्रमांक	पदनाम	पद पर कार्यभार ग्रहण का दिनांक	अनुभव
1			
2			
3			
4			

12. संलग्न प्रमाण पत्रों की सूची (स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न करे)।

1. जन्मतिथि के लिये कक्षा 10 वीं की अंकसूची
2. पैरामेडिकल काउंसिल का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र ।
3. जाति प्रमाण पत्र (केवल आरक्षित श्रेणी के लिये है।)
4. स्थानीय निवास प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्ग हेतु)
5. आधार कार्ड
6. प्रशिक्षण/कांफ्रेस पुरस्कार प्रमाणपत्र
7. आवेदन शुल्क की आर.टी.जी.एस. की रसीद

नोट:- वेतनमान में अंकित पद हेतु पदों की आवश्यक शैक्षणिक व वॉछनीय अर्हताये संस्था की वेबसाईट ([www. mgmmcindore.in](http://www.mgmmcindore.in)) पर उपलब्ध रहेगी। संबंधित पद की अर्हताये आवेदक द्वारा सुनिश्चित कर आवेदन पत्र की पूर्ति करे।

स्थान.....
हस्ताक्षर
दिनांक.....

आवेदक का पूरा नाम एवं

// घोषणा-पत्र //

1. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मेरे द्वारा दी गई उपरोक्त जानकारी पूर्ण एवं सत्य है। जानकारी असत्य होने की दशा में मेरा आवेदन पत्र/नियुक्ति पत्र निरस्त किया जा सकेगा।
2. मेरे विरुद्ध पुलिस प्रकरण में एफ.आई.आर. दर्ज नहीं है, और मेरे विरुद्ध कोई जॉच प्रचलन में नहीं है।
3. मैं प्रमाणित करता/करती हूँ कि मुझे नैतिक पतन के किसी अपराध में किसी न्यायालय द्वारा न तो दोषी पाया गया है और न ही मेरे विरुद्ध इस प्रकार का कोई प्रकरण किसी भी न्यायालय में विचाराधीन है।
4. म.प्र. शासकीय स्वशासी महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इन्दौर के निर्धारित नियम मुझ पर पूर्णरूपेण बंधनकारी होंगे।

आवेदक का पूरा नाम एवं हस्ताक्षर